भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 286

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खेल गतिविधियां</u>

***286. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**

श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अंतर्गत शामिल की गई खेल गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत और अधिक खेल गतिविधियों को शामिल करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गतिविधियों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने/सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खेल गतिविधियों से संबंधित दिनांक 18 दिसबंर, 2015 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 286 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची है जो कंपनियों द्वारा उनकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के अंतर्गत चलाई जा सकती हैं। अनुसूची-VII की मद संख्या (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ 'ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण' देना, पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में शामिल हैं। इस मद के अंतर्गत खेलों की सभी श्रेणियां शामिल हैं। अनुसूची-VII की एक प्रति अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग): कंपनियों द्वारा सीएसआर का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने (i) अधिनियम की अनुसूची-VII में संशोधन किया है ताकि व्यापक कार्यकलापों को सीएसआर कार्यकलाप के रूप में मान्यता दी जा सके; (ii) दिनांक 18.06.2014 को एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची-VII की उदार व्याख्या करने का सुझाव दिया गया है; और (iii) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन किए गए हैं ताकि (क) सीएसआर के लिए 'प्रशासनिक ओवरहेड व्यय' को मान्य सीएसआर व्यय में शामिल किया जा सके और (ख) कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप चलाने के लिए संसाधनों की पूलिंग की जा सके। उपर्युक्त सभी दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

*****

अनुलग्नक

<u>लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 286 के उत्तर का अनुलग्नक</u>

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में शामिल क्रियाकलाप और उसमें किए गए संशोधन</u>

किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-VII में दिए गए हैं, जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना और उसमें किए गए संशोधनों में दिया गया है और अनुसूची-VII में निम्नलिखित मद सूचीबद्ध हैं:

(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन; **निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना ओर केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वच्छता** और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषत: बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों अन्यथा समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाओं का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए आवास और छात्रावासों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केन्द्रों का निर्माण और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना जिसमें **केन्द्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए गठित स्वच्छ गंगाकोष में अंशदान करना शामिल है;**

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजिनक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय करना;

(vii) ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरालंपिक खेलकूद और ओलंपिक खेलकूदों को वढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अंशदान करना;

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए अंशदान या निधियां प्रदान करना;

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएं।

(xi) **स्लम क्षेत्र विकास।**

*****